

न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(चिन्मयी गोपाल, आई०ए०एस०द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

01 / 2022
17.01.2022

श्रीमति शकुन्तला पत्नि प्रभूदयाल जाति जाट निवासी बमोर हाल निवासी शास्त्री नगर
टोक तहसील व जिला टोंक राज०

बनाम

—अपीलान्ट

तहसीलदार टोंक जिला—टोक

—रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध
निर्णय तहसीलदार टोंक दिनांक 02.12.2021 मिसल नम्बर 89 / 2021

उपस्थिति : (1) श्री महेश शर्मा, अभिभाषक अपीलान्ट

(2) श्री रामप्रसाद कुमावत, नायब तहसीलदार राजकीय पेरोकार

निर्णय

दिनांक 29.06.2022

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार टोंक ने अपने निर्णय दिनांक 02.12.2021 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 1471 रकबा 12 बिस्वा किस्म गै०मु० रास्ता वाके ग्राम बमोर तहसील टोंक में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने के कारण पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए भूमि से बेदखल करने, 6/रु. पेनल्टी कायम कर आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार टोंक के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय पेरोकार की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का भलीभांति अवलोकन के बिना ही उक्त निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का विवेचन निर्णय में नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट तलब की गई, वह अपीलान्ट की अनुपस्थिति में तैयार की गई है। पटवारी हल्का द्वारा मौका रिपोर्ट गलत बनाई गई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना जवाब दिनांक 13.08.2021 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि भूमि खसरा नम्बर 1658 के कुछ भाग में पेट्रोल पंप स्थापित किया गया है तथा उक्त भूमि के सामने लगवा रास्ते की भूमि खसरा नम्बर 1471 है, जिस पर किसी प्रकार को कोई अतिक्रमण नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 05.12.2016 से अपीलान्ट को बेदखल करने का



जिला कलेक्टर
टोंक

आदेश पारित किये जाने के उपरान्त अपीलांट द्वारा उक्त पारित आदेश की अपील न्यायालय हाजा में पेश करने पर न्यायालय हाजा द्वारा अपने आदेश दिनांक 24.01.2018 से अपील अपीलांट स्वीकार की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में अपीलांट द्वारा गै0मु0 रास्ते के किस भू-भाग पर अतिक्रमण किया का उल्लेख नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को अन्य लोगो द्वारा की गई झूठी शिकायतो के आधार पर पर जान बूझकर परेशान करने की गरज से उसके विरुद्ध धारा 91 की कार्यवाही की गई है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।


अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय परोकार ने कथन किया कि अपीलान्ट को विवादित भूमि खसरा नम्बर नम्बर 1471 रकबा 12 बिस्वा किस्म गै0मु0 रास्ता वाके ग्राम बमोर तहसील टोंक में राजकीय भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने पर तहसीलदार टोंक द्वारा भूमि से बेदखल करने, पेनल्टी कायम कर आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया है, जिस पर अपीलान्ट की विधिवत तामील हुई है। अपीलान्ट न्यायालय में उपस्थित हुये है। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है ओर राजकीय भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्टस एवं राजकीय परोकार की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलाण्ट की ओर से प्रभू की तामील हुई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुये है। अपीलान्ट द्वारा भूमि खसरा नम्बर नम्बर 1471 रकबा 25 X 34 व 50 X 33 वर्गफीट किस्म गै0मु0 रास्ता वाके ग्राम बमोर तहसील टोंक पर अतिक्रमण कर बाडा व पक्की दोनो तरफ दीगर व लोहे के पिल्लर लगाकर अतिक्रमण किया है, जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट से सिद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में भी अपने आदेश दिनांक 05.12.2016 से उक्त भूमि से बेदखल करने का आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहते है ओर राजकीय भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने के आदी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार टोंक का निर्णय दिनांक 02.12.2021 यथावत रखा जाता है। स्थगन प्रार्थना पर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर टोंक